एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

विषय - सूची

		पृष्ठ सं.
1.	निदेशक-मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	5
4.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	7
5.	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	11
6.	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा	12
7.	नकदी प्रवाह विवरण	13
8.	लेखों का भाग निर्मित करने वाली अनुसूचियां	14

निदेशक-मंडल (30.12.2010 को)

श्री अरविन्द जाधव — **अध्यक्ष**

श्री ई. के. भारत भूषण

श्री प्रशांत सुकुल

एअर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) फली एच. मेजर

मुख्य प्रचालन अधिकारी

श्री दीपक बरारा

लेखापरीक्षक

मैसर्स पी. एम. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स

सॉलिसिटर्स

मैसर्स एम. वी. किणी एण्ड कंपनी

बैंकर्स

एचडीएफसी बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय

एयरलाइन्स हाउस,
113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली-110 001.

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों पर टिप्पणियों सहित कंपनी की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है।

पूंजी की संरचना :

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल) जून, 2003 में निगमित की गई थी । कंपनी की पूंजी की संरचना इस प्रकार है :

(रुपए)

प्राधिकृत :	
प्रत्येक रु.10/- के 9 करोड़ इक्विटी शेयर :	**90,00,00,000**
प्रत्येक रु.100/- के 10 लाख निष्क्रेय अधिमान शेयर	**10,00,00,000**
कुल	**100,00,00,000**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी :	
प्रत्येक रु.10/- के 50,000 इक्विटी शेयर	**5,00,000**

वित्तीय परिणाम :

(लाख रुपए में)

	2009-10	2008-09
कुल राजस्व	**6213.05**	5993.24
कुल व्यय	**6222.33**	6088.09
मूल्यह्रास पूर्व लाभ / (हानि)	**(9.28)**	(86.85)
घटाएं : प्रारंभिक व्यय, मूल्यह्रास / कर और अन्य मदें	**(6.70)**	(11.60)
निवल लाभ / (हानि)	**(15.98)**	(98.45)

अगस्त, 2010 तक एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की गतिविधियां

विभिन्न भारतीय स्टेशनों पर ग्राहक एअरलाइनों की उड़ानों की हैंडलिंग की आवश्यकता के आधार पर, 1 जुलाई, 2010 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में कॉन्ट्रेक्ट आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :

जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव-टेक्निकल	11
कस्टमर एजेंट	241
रैम्प सर्विस एजेंट	133
सिक्युरिटी एजेंट	503
हैंडीमैन	257
यूटिलिटी सर्विस एजेंट (एमओयू के अनुसार समाविष्ट किया गया)	53
इक्विपमेंट ऑपरेटर / टैक्नीशियन (एअर इंडिया से सेवानिवृत्त)	3
कुल	**1201**

सभी स्टेशनों पर सभी उड़ानों की सुरक्षा हैंडलिंग केवल एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के स्टाफ द्वारा की जाती है, क्योंकि यह कार्य किसी बाहरी एजेंसी को आउटसोर्स करने की अनुमति नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां निष्पादित की गईं और आउटसोर्स की गईं :

- **चेन्नई** में, लुफ्थांज़ा उड़ानों की व्यापक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का कार्य 1 फरवरी, 2010 से शुरू किया गया और यात्री, बैगेज और कार्गो हैंडलिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं।
- **कोलकाता** में, लुफ्थांज़ा उड़ानों की व्यापक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का कार्य 4 जनवरी, 2010 से शुरू किया गया।
- **कोझिक्कोड** में, विमानों की केबिन की सफाई और टर्मिनल बिल्डिंग एवं विमान के नीचे बैगेज हैंडलिंग का कार्य 1 दिसम्बर, 2009 से मैसर्स जे. पी. कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को आउटसोर्स किया गया।
- **तिरुवनंतपुरम** में, आउटसोर्स एजेंसी मैसर्स ग्लोबल एविएशन के माध्यम से एमिरेट्स की उड़ानों के लिए यात्री, बैगेज एवं कार्गो के लिए और एतिहाद की उड़ानों के लिए यात्री और बैगेज के लिए फ्लाइट हैंडलिंग उपलब्ध कराई गई।
- **तिरुचिरापल्ली** में, आउटसोर्स एजेंसी मैसर्स टॉरस एविएशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एअर इंडिया एक्सप्रेस तथा एअर एशिया की सभी उड़ानों के लिए यात्री, बैगेज, कार्गो, केबिन सफाई के लिए फ्लाइट हैंडलिंग उपलब्ध कराई गई।
- **दिल्ली** में, विविध आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न एअरलाइनों को निम्नानुसार सेवाएं उपलब्ध कराई गईं :
  - ★ आउटसोर्स एजेंसी मैसर्स लिववेल के माध्यम से एमिरेट्स के लिए फ्लाइट हैंडलिंग और सिंगापुर एअरलाइन्स के लिए यात्री एवं बैगेज हैंडलिंग तथा केबिन सफाई।
  - ★ रॉयल नेपाल उड़ानों और एशियाना एअरलाइन्स की उड़ानों के लिए यातायात, भू सेवा और उड़ानगत सेवा के लिए आउटसोर्स एजेंसी मैसर्स नेहा इंटरनेशनल के माध्यम से जनशक्ति उपलब्ध कराई जा रही है।
  - ★ स्टोरकीपिंग और भंडार सहायता मैसर्स पायोनियर ईसर्व प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध कराई गई।
- **मुंबई** में, विविध आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न एअरलाइनों को निम्नानुसार सेवाएं उपलब्ध कराई गईं :
  - ★ मैसर्स पायोनियर ईसर्व प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से लिपिकीय, प्रशासनिक, लेखा और संबद्ध कर्मचारी, ऑफिस बॉय / चपरासी।
  - ★ आउटसोर्स एजेंसी मैसर्स लिववेल के माध्यम से एमिरेट्स, कॉन्टिनेंटल एअरलाइन्स, सिंगापुर एअरलाइन्स और कुवैत एअरलाइन्स के यात्री और बैगेज के लिए फ्लाइट हैंडलिंग और थाई एअरवेज़ के लिए समर्पित कर्मचारी उपलब्ध कराए गए।
  - ★ आउटसोर्स एजेंसी मैसर्स ग्लोबल एविएशन के माध्यम से कोरियन एअर तथा साउथ अफ्रीकन एअरवेज़ को समर्पित चैक-इन कर्मचारी उपलब्ध करवाकर फ्लाइट हैंडलिंग।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन :

कंपनी का निदेशक-मंडल पुष्टि करता है कि -

1. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विचलन नहीं है;
2. चयन की गई लेखाकरण नीतियों को प्रयुक्त किया गया और निदेशकों ने जो निर्णय लिए और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और सही हैं कि वे 31 मार्च, 2010 को कंपनी के क्रियाकलापों और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ / हानि का सही और निष्पक्ष चित्र दर्शाते हैं;
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है;
4. वार्षिक लेखे सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए गए हैं।

<u>**निगम नियंत्रण**</u> :

<u>**निदेशक-मंडल**</u> :

वर्ष 2009-10 के दौरान बोर्ड की चार बैठकें हुईं। 31 मार्च, 2010 तक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री अरविन्द जाधव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नैसिल	-	अध्यक्ष
श्री ई. के. भारत भूषण, अपर सचिव और वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक
श्री प्रशांत सुकुल, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक

श्री एन. वाघुल, पूर्व अध्यक्ष, आईसीआईसीआई ने 1 मार्च, 2010 को त्यागपत्र दिया। अतः उस तारीख से वे एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड बोर्ड के सदस्य नहीं रहे। श्री एन. वाघुल द्वारा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दी गई अमूल्य सेवाओं के लिए बोर्ड उनकी सराहना करता है।

एअर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) फली एच. मेजर को 14 जून, 2010 से कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया।

लेखापरीक्षक :

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए मैसर्स पी. एम. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट :

सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां तथा उस पर प्रबंधन के उत्तर अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा समिति :

चूंकि, कंपनी की प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए से कम है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अनुसार कंपनी के लिए लेखापरीक्षा समिति का होना ज़रूरी नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी को अपनाना, विदेशी विनिमय अर्जन और व्यय :

निर्दिष्ट मामलों पर कोई विवरण संलग्न नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी केवल ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों में लगी हुई थी।

कर्मचारियों का विवरण :

कोई भी ऐसे कर्मचारी नहीं थे, जो वर्ष भर नियोजित रहे और जिन्हें 2 लाख रुपए प्रति माह या 24 लाख रुपए प्रति वर्ष पारिश्रमिक मिला हो। अतः इस संबंध में कोई विवरण संलग्न नहीं किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां :

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधन का उत्तर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है (अनुलग्नक - 'क')।

आभार :

निदेशक-मंडल, नैसिल, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय तथा अन्य विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त सहायता और सहयोग के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
तारीख : 23 दिसम्बर, 2010

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखापरीक्षण एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी तारीख 29 सितम्बर, 2010 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया हुआ बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत **एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की संपूरक लेखापरीक्षा की है। यह संपूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागज़ातों को देखकर स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंभिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों की जांच और कंपनी के कार्मिकों और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है। अपनी संपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण मामलों को रेखांकित करना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने के लिए आवश्यक हैं।

लाभ और हानि लेखा
आय
हैंडलिंग सेवाओं से राजस्व - 62.01 करोड़ रुपए

इसमें, मार्च, 2010 में प्रदान की गई हैंडलिंग सेवाओं के लिए नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्य 26.28 लाख रुपए के हैंडलिंग प्रभार की राशि शामिल नहीं है। यदि इस राजस्व को मान्यता दी जाती, तो वर्ष 2009-10 के लिए 16.36 लाख रुपए की संपूर्ण हानि (कर पूर्व और पूर्वावधि मदों के पश्चात) 9.92 लाख रुपए के लाभ (कर पूर्व और पूर्वावधि मदों के पश्चात) में परिवर्तित हो जाती थी।

उपर्युक्त को देखते हुए, वर्ष 2009-10 के कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी तारीख 29 सितम्बर, 2010 की रिपोर्ट में व्यक्त किए गए सही एवं निष्पक्ष मत का समर्थन नहीं किया जा सकता।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-
सरित जफा
प्रधान निदेशक-वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II, मुंबई

स्थान : मुंबई
तारीख : 22 नवम्बर, 2010

कंपनी के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र.सं.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
	इसमें, मार्च, 2010 में प्रदान की गई हैंडलिंग सेवाओं के लिए नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्य 26.28 लाख रुपए के हैंडलिंग प्रभार की राशि शामिल नहीं है। यदि इस राजस्व को मान्यता दी जाती, तो वर्ष 2009-10 के लिए 16.36 लाख रुपए की संपूर्ण हानि (कर पूर्व और पूर्वावधि मदों के पश्चात) 9.92 लाख रुपए के लाभ (कर पूर्व और पूर्वावधि मदों के पश्चात) में परिवर्तित हो जाती थी। उपर्युक्त को देखते हुए, वर्ष 2009-10 के कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी तारीख 29 सितम्बर, 2010 की रिपोर्ट में व्यक्त किए गए सही एवं निष्पक्ष मत का समर्थन नहीं किया जा सकता।	वर्ष 2009-10 में रु. 26,27,789/- की बिलिंग करना भूल से रह गया। तथापि, वर्ष 2010-11 में इसके बिल बनाकर सुधारा गया है। लेखापरीक्षा अभिमत को भविष्य के लिए नोट किया गया है।

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार **एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी हैं। इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर विचार प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा इस प्रकार योजनाबध्द और कार्यबध्द करें कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है। लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों का समर्थन करने वाले प्रमाणों का परीक्षण करना शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखाकरण सिध्दांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण करने के साथ-साथ प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमने अपनी जो राय व्यक्त की है, हमारी लेखापरीक्षा में उसका एक उचित आधार विद्यमान है।

3. अनुसूची 12(ख) की निम्नलिखित टिप्पणी संख्या पर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

   (क) टिप्पणी सं. 3 : विविध लेनदारों के लेखों का समाधान।

   (ख) टिप्पणी सं. 6 : सेवा कर लेखा अभिलेखों का समाधान।

   (ग) टिप्पणी सं. 12 : कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक रहा है।

4. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क) के निबंधनों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अनुसार यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण हम अनुलग्नक में संलग्न कर रहे हैं।

5. उपर्युक्त पैरा 3 में संदर्भित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम निम्नानुसार रिपोर्ट देते हैं :

   (क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   (ख) विधि द्वारा अपेक्षित, मुंबई स्थित कंपनी के केन्द्रीय लेखा कार्यालय में अब तक रखी गई इन लेखा-बहियों, जिनमें कंपनी के विभिन्न स्टेशनों से प्राप्त और नैसिल (होल्डिंग कंपनी) सहित बाह्य स्रोत एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरणियां समाहित हैं, के परीक्षण के आधार पर हमारी यह राय है कि ये हमारी लेखापरीक्षा के लिए विश्वसनीय हैं;

   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, लेखा-बहियों से मेल खाते हैं;

   (घ) हमारी राय में, जिस तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखे के संबंध में यह रिपोर्ट दी जा रही है, वे उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित के अलावा, कंपनी को लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में संदर्भित अनिवार्य लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं;

   (ङ) यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित एक सरकारी कंपनी है। इसे विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 2/5/2001/सीवी.वी, दिनांक 22 मार्च, 2001 के सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 द्वारा अधिनियम की धारा 274 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है;

   (च) चूंकि, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 441ए के अंतर्गत देय उपकर को अभी अधिसूचित किया जाना है, अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (3)(छ) की रिपोर्टिंग की अपेक्षा लागू नहीं होती;

   (छ) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखे उपर्युक्त पैरा 4 में दी गई हमारी अभ्युक्तियों के साथ पठित और उन पर दी गई टिप्पणियों के अधीन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत यथापेक्षित तरीके से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिध्दांतों के अनुरूप हैं और सभी आवश्यक सूचनाएं देते हैं तथा निम्नलिखित के संबंध में सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं :

      (i) तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2010 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति का;

      (ii) लाभ और हानि लेखे के मामले में, उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए हानि का; और

      (iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह का।

कृते पी. एम. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
पी. एम. अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 013899

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 सितम्बर, 2010

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के पैरा 3 में संदर्भित

i) (क) कंपनी अपनी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में मात्रात्मक विवरणों और स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड रखती है।

(ख) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान कंपनी की अचल परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जांच की गई है और ऐसी जांचों के दौरान प्रबंधन द्वारा कोई वास्तविक विसगतियां नहीं पाई गई हैं।

(ग) वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों का कोई भाग नहीं बेचा है।

ii) कंपनी के प्रचालन की प्रकृति ऐसी है कि उसके लिए कोई इन्वेंटरी रखना / शामिल करना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(ii) लागू नही होता।

iii) (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को किसी भी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिया है। अतः आदेश (iii) के खंड ख, ग और घ लागू नहीं होते हैं।

(ख) केवल होल्डिंग कंपनी मैसर्स नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) के साथ चालू खाता है, जहां 'ऑन एकाउंट' आधार पर नियमित रूप से निधि प्राप्त होती रही और उसे नैसिल के नाम से बनाए गए बीजकों के मूल्य के लिए कंपनी द्वारा समायोजित किया जा रहा है, को छोड़कर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या पार्टियों से किसी भी प्रकार का रक्षित या अरक्षित कोई ऋण नहीं लिया है।

वर्ष के अंत में इस लेखे में डेबिट बैलेंस 271.97 लाख रुपए (पिछले वर्ष डेबिट बैलेंस 359.87 लाख रुपए) था। अतः आदेश (iii) के खंड (च) और (छ) लागू नहीं होते हैं।

iv) हमारी राय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को कंपनी के आकार के अनुरूप बनाने के लिए उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

v) (क) हमारी राय में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में उल्लिखित किसी भी संविदा और व्यवस्था का कोई विवरण नहीं है, जिन्हें उस धारा के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज़ करना ज़रूरी हो, क्योंकि तारीख 31.01.1978 की अधिसूचना जीएसआर 233 के अनुसार सरकारी कंपनियों को इसके लिए छूट दी गई है। अतः आदेश का खंड ख (v) लागू नहीं होता है।

vi) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की धारा 58क और 58कक के प्रावधानो या कोई अन्य संबध्द प्रावधानों या इस बारे में कंपनी विधि बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी कोर्ट या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन या तो शून्य है या लागू नहीं होता है।

vii) कंपनी के आकार और उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है, परंतु उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

viii) हमें सूचित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उप धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत कंपनी द्वारा की जा रही व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। अतः आदेश का खंड (viii) लागू नहीं होता है।

ix) (क) कंपनी, जहां कहीं लागू हो, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क, उपकर और अन्य वास्तविक सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियां उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में सामान्यतः नियमित है। 31 मार्च, 2010 को देय होने की तारीख से छह माह से अधिक अवधि के लिए व्यवसाय कर रु. 18,060/- (पिछले वर्ष रु. 3,55,068/-) को छोड़कर अन्य राशियां बकाया नहीं थीं। इसी क्रम में हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार अधिनियम की धारा 441ए के अंतर्गत देय उपकर की राशि को केन्द्रीय सरकार ने अब तक निर्धारित नहीं किया है, अतः इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(ख) जहां कहीं लागू हो, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क, उपकर की कोई भी राशियां बकाया नहीं हैं, जो विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा न की गई हों।

x) रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की संचित हानि इसके निवल-मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक है। कंपनी को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि हुई है तथा इसके ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि हुई है।

xi) कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों या डिबेंचरधारकों से कोई राशि नहीं ली है। अतः बकाया राशि के पुनः भुगतान में चूक होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

xii) कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम स्वीकृत नहीं किए हैं। अतः पर्याप्त दस्तावेज़ों और रिकॉर्डों के रखरखाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

xiii) कंपनी चिट फंड, निधि या म्युचुअल लाभ निधि / सोसायटी नहीं है। अतः इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiv) कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियो, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में लेन-देन या सौदा नहीं करती। अतः इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xv) कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। अतः इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi) कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। अतः जिस उद्देश्य के लिए सावधि ऋण लिए गए हैं, उस उद्देश्य के लिए सावधि ऋण का उपयोग करने के बारे में इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों एवं कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमान्य (प्रिफरेंशियल) आबंटन नहीं किया है। अतः इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xviii) कंपनी ने प्रथमदृष्टया दीर्घावधि निवेशों के लिए लघु अवधि के आधार पर कोई निधि प्रयुक्त नहीं की है।

xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान या इससे पूर्ववर्ती वर्षों में कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। अतः इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xx) कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू द्वारा कोई धन नहीं लिया है।

xxi) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला न तो पाया गया और न ही सूचित किया गया।

कृते पी. एम. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
पी. एम. अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 013899

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 सितम्बर, 2010

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन की टिप्पणियां :

पैरा 3 : अनुसूची 12(ख) की निम्नलिखित टिप्पणी संख्या पर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभिमत	प्रबंधन की टिप्पणियां
3क.	**नोट सं. 3 : विविध लेनदारों के लेखों का समाधान :** विविध लेनदारों के अंतर्गत 716.90 लाख रुपए की दर्शाई गई शेष राशि समाधान और तदुपरान्त समायोजन के अधीन है।	विविध लेनदारों के लेखों में शेष राशि का समाधान एक सतत प्रक्रिया है और कंपनी इसका समाधान कर रही है।
3ख.	**नोट सं. 6 : सेवा कर लेखा अभिलेखों का समाधान :** विभिन्न पार्टियों से प्राप्त / को किए गए वास्तविक भुगतान तथा उसके तदुपरान्त समायोजनों सहित उसकी इनपुट सेवाओं पर सेवा कर देयता एवं सेनवेट क्रेडिट को निर्धारित करने के लिए कंपनी अपने सेवा कर अभिलेखों का समाधान कर रही है।	सेवा कर देयता को समाधान की सीमा तक चुकाया गया है। सेवा कर अभिलेखों का समाधान एक सतत प्रक्रिया है और कंपनी इसका समाधान कर रही है।
3ग.	**नोट सं. 12 : कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक रहा है / घटा है।**	ग्राउंड हैंडलिंग एसबीयू प्रचालित होने पर इस स्थिति में सुधार हो सकेगा और कंपनी को स्थानांतरित किया जाएगा। विशिष्ट भारतीय एअरपोर्टों पर एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड को प्रचालित करने का निर्णय लिए जाने के बाद ग्राउंड हैंडलिंग उपस्करों के लिए अपेक्षित निवेश के आकार पर निर्भर मूल कंपनी द्वारा और अधिक पूंजी लगाई जाएगी।

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
निधियों के स्रोत :			
शेयरधारकों की निधियां :			
शेयर पूंजी	1	500,000	500,000
आस्थगित कर देयता		6,520	9,180
कुल		506,520	509,180
निधियों का उपयोग :			
अचल परिसंपत्तियां :	2		
सकल ब्लॉक		135,323	135,323
घटाएं : मूल्यह्रास		131,616	109,680
निवल ब्लॉक		3,707	25,643
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम :			
विविध देनदार	3	54,074,383	66,610,728
नकदी और बैंक शेष	4	761,895	3,996,946
ऋण और अग्रिम	5	51,045,005	35,493,120
		105,881,283	106,100,794
घटाएं :			
चालू देयताएं	6	126,037,303	124,732,669
प्रावधान	7	7,238,971	7,852,151
		133,276,274	132,584,819
निवल चालू परिसंपत्तियां		(27,394,991)	(26,484,025)
विविध व्यय :			
बट्टे खाते में नहीं डाले गए या समायोजित न किए गए परिमाण तक प्रारंभिक व्यय	8	2,672,600	3,340,750
लाभ और हानि लेखा (हानि)		25,225,204	23,626,812
कुल		506,520	509,180
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखों के भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियां	12		
तुलन-पत्र का सार और कंपनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा	13		

ऊपर संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग निर्मित करती हैं।

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी. एम. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
पी. एम. अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 013899

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 सितम्बर, 2010

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
ई. के. भारत भूषण
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2009 - 10	2008 - 09
आय :			
हैंडलिंग सेवा से राजस्व		620,071,024	597,792.423
अन्य आय	9	1,233,746	1,531.671
कुल		621,304,770	599,324.094
व्यय :			
हैंडलिंग एवं प्रचालन व्यय		203,547,396	201.819.232
कर्मचारी लागत	10	391,854,669	384,349.857
कार्यालय, स्थापना और प्रशासनिक व्यय	11	26,831,337	21.839.706
कुल		622,233,402	608,008.795
वर्ष के लिए प्रचालनगत लाभ / (हानि)		(928,632)	(8,684.701)
मूल्यहास		21,936	21.936
बट्टे खाते में डाला गया प्रारंभिक व्यय		668,150	668.150
कर एवं पूर्वावधि मदों से पहले निवल लाभ / (हानि)		(1,618,718)	(9,374.787)
जोड़ें / (घटाएं) : पूर्वावधि मदें (निवल)		17,426	-
कर एवं पूर्वावधि मदों के पश्चात निवल लाभ / (हानि)		(1,636,144)	(9,374.787)
(घटाएं) / जोड़ें : कर के लिए प्रावधान			
आय कर - वर्तमान वर्ष		-	453,492
फ्रिंज बेनिफिट कर - वर्तमान वर्ष		-	9.393
पूर्वावधि कर समायोजन		(35,092)	13.339
		(1,601,052)	(9,851,010)
(घटाएं) / जोड़ें : आस्थगित कर देयता		(2,660)	6.131
कर के बाद निवल लाभ / (हानि)		(1,598,392)	(9,844.879)
पिछले वर्ष से अग्रानीत शेष		(23,626,812)	(13,781.933)
तुलन-पत्र में अग्रेनीत शेष		(25,225,204)	(23,626.812)
प्रति शेयर अर्जन		(31.97)	(196.90)
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखों के भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियां	12		
तुलन-पत्र का सार और कंपनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा	13		

ऊपर संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी. एम. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
पी. एम. अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 013899

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 सितम्बर, 2010

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
ई. के. भारत भूषण
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण			2009-10	2008-09
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कराधान पूर्व निवल लाभ / (हानि) :			(1,636,144)	(9,374,787)
(घटाएं) / जोड़ें : गैर नकदी मदों के लिए समायोजन :				
मूल्यहास			21,936	21,936
बट्टे खाते में डाला गया प्रारंभिक व्यय			668,150	668,150
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन (हानि) / लाभ			(946,058)	(8,684,701)
(घटाएं) / जोड़ें : कर का प्रावधान			35,092	(476,224)
कर के पश्चात निवल (हानि) / लाभ	(क)		(910,966)	(9,160,924)
विविध देनदारों में कमी / (वृद्धि)			12,536,345	(16,173,026)
ऋणों और अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)			(15,551,885)	(15,375,090)
चालू देयताओं एवं प्रावधानों में कमी / (वृद्धि)			691,455	43,265,093
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन	(ख)		(2,324,085)	11,716,977
प्रचालन से निवल नकदी (बहिर्वाह) / अंतर्वाह	(क+ख)	(क)	(3,235,051)	2,556,053
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		(ख)	-	-
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		(ग)	-	-
नकदी और नकदी समानकों में निवल वृद्धि / (कमी)		(क+ख+ग)	(3,235,051)	2,556,053
01.04.2009 को नकदी और नकदी समानकों का प्रारंभिक शेष			3,996,946	1,440,893
जोड़ें : नकदी और नकदी समानकों में निवल वृद्धि			(3,235,051)	2,556,053
31.03.2010 को नकदी / नकदी समानकों का अंतिम शेष			761,895	3,996,946

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी. एम. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
पी. एम. अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 013899

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 सितम्बर, 2010

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
ई. के. भारत भूषण
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

तुलन-पत्र के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां

अनुसूची - 1 : शेयर पूंजी :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रत्येक रु. 10/- के 9,00,00,000 (9,00,00,000) इक्विटी शेयर	**900,000,000**	900,000,000
प्रत्येक रु. 100/- के 10,00,000 (10,00,000) निष्क्रेय अधिमान शेयर	**100,000,000**	100,000,000
कुल	**1,000,000,000**	1,000,000,000
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक रु. 10/- के 50,000 (50,000) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (संपूर्ण शेयर पूंजी कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कंपनी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा उसके नामितियों द्वारा धारित है)	**500,000**	500,000
कुल	**500,000**	500,000

अनुसूची - 2 : अचल परिसंपत्तियां :

(राशि रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास ब्लॉक			निवल ब्लॉक (डब्ल्यूडीवी)	
	31.03.2009 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	**31.03.2010 को**	31.03.2009 तक	वर्ष का मूल्यहास	**31.03.2010 तक**	**31.03.2010 को**	31.03.2009 को
कम्प्यूटर एवं प्रिंटर	135,323	-	**135,323**	109,680	21,936	**131,616**	**3,707**	25,643
कुल	135,323	-	**135,323**	109,680	21,936	**131,616**	**3,707**	25,643
पिछले वर्ष	135,323	-	**135,323**	87,744	21,936	**109,680**	**25,643**	47,579

अनुसूची - 3 : विविध देनदार :

(राशि रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
विविध देनदार			
(अरक्षित शोध्य माने गए)			
I. छह माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण			
एअर इंडिया सैट्स बैंगलुरू - सहयोगी फर्म से			77,442
II. अन्य ऋण			
नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि. - होल्डिंग कंपनी से			
बिलिंग खाता नामे शेष	72,070,949		
चालू खाता जमा शेष	44,873,715	**27,197,234**	35,987,186
एअर इंडिया सैट्स बैंगलुरू - सहयोगी फर्म से / संयुक्त उद्यम कंपनी		**17,545,644**	16,726,746
एअर इंडिया सैट्स हैदराबाद - सहयोगी फर्म से / संयुक्त उद्यम कंपनी		**9,331,505**	13,819,354
कुल		**54,074,383**	66,610,728

नोट : कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उप-धारा (1ख) के आशय के अंतर्गत उक्त ऋण उसी प्रबंधन के अधीन कंपनियों / फर्मों से प्राप्य हैं।

अनुसूची - 4 : नकदी और बैंक शेष :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
हाथ में नकदी	367	1,842
बैंक शेष :		
अनुसूचित बैंक के चालू खाते में	761,528	3,995,104
कुल	761,895	3,996,946

अनुसूची - 5 : ऋण एवं अग्रिम :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
(अरक्षित लेकिन शोध्य माने गए)		
नकदी में या जिंस या मूल्य के रूप में		
वसूलीयोग्य प्राप्य अग्रिम :		
प्रतिभूति जमा	324,000	324,000
डीडी रद्दकरण की लंबित प्राप्ति	-	13,630
अग्रिम फ्रिंज बेनिफिट कर (निवल)	79,210	53,511
स्रोत पर काटा गया कर	43,803,014	28,580,091
जमा किए गए चैक, जो समाशोधित नहीं हुए	-	32,500
सेवा कर - निर्विष्ट जमा - अंतरिम	6,835,465	6,489,388
कर्मचारियों से वसूली योग्य व्यावसायिक कर	3,316	-
कुल	51,045,005	35,493,120

अनुसूची - 6 : चालू देयताएं :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
विविध लेनदार- हैंडलिंग प्रभार	71,690,244	61,937,356
विविध लेनदार- अन्य व्यय	37,578,400	40,109,570
देय व्यावसायिक कर	351,639	831,976
देय भविष्य निधि और ईडीएलआई प्रभार	2,478,347	2,544,449
बयाना राशि / प्रतिभूति जमा	980,000	970,000
सर्विस टैक्स आउटपुट देय - अंतरिम	11,159,677	9,278,199
सर्विस टैक्स आउटपुट देय - वास्तविक	-	2,863,086
स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) - देय	1,798,996	1,800,240
चैक जारी किए गए, परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए	-	4,397,793
कुल	126,037,303	124,732,669

अनुसूची - 7 : प्रावधान :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
प्रावधान :		
उपदान के लिए	5,453,318	5,453,318
छुट्टी नकदीकरण के लिए	1,332,161	1,935,948
आय कर के लिए	453,492	453,492
फ्रिंज बेनिफिट कर के लिए	-	9,393
कुल	7,238,971	7,852,151

अनुसूची - 8 : प्रारंभिक व्यय :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	3,340,750	4,008,900
घटाएं :		
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	668,150	668,150
कुल	2,672,600	3,340,750

लाभ और हानि लेखे के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां

अनुसूची - 9 : अन्य आय :

(राशि रुपए में)

विवरण	2009-10	2008-09
नौकरी के लिए भरती संबंधी आवेदन शुल्क	392,460	25,448
नोटिस अवधि वेतन	700,887	1,506,223
प्रतिलिखित / बट्टे खाते में डाला गया विविध शेष (निवल)	140,399	-
कुल	1,233,746	1,531,671

अनुसूची - 10 : कर्मचारी लागत :

(राशि रुपए में)

विवरण	2009-10	2008-09
वेतन	368,803,996	355,208,576
बोनस	7,075,092	8,649,711
भविष्य-निधि एवं ईडीएलआई प्रभार	15,456,711	14,945,223
उपदान	-	5,453,318
कर्मचारी कल्याण	518,870	93,029
कुल	391,854,669	384,349,857

अनुसूची - 11 : कार्यालय, स्थापना और प्रशासनिक व्यय :

(राशि रुपए में)

विवरण	2009-10	2008-09
स्थापना सहायक प्रभार	22,783,700	15,008,708
भरती व्यय	1,013,930	3,624,425
किराया	318,627	412,102
जल प्रभार	491,336	533,067
बिजली प्रभार	1,424,544	1,471,595
संपत्ति कर	206,447	206,447
संचार व्यय	38,587	52,846
सवारी	46,496	48,471
दरें, शुल्क एवं कर	4,500	6,452
यात्रा व्यय	72,105	110,764
डाक और कुरियर प्रभार	20,399	32,711
मुद्रण और लेखन-सामग्री	5,745	8,173
कार्यालय व्यय	177,477	127,039
बैंक प्रभार	496	10,235
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	99,348	58,688
विविध व्यय	2,600	2,983
सांविधिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक :		
- लेखापरीक्षा शुल्क	100,000	100,000
- जेब खर्च	10,000	10,000
कर लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक :		
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	15,000	15,000
कुल	26,831,337	21,839,706

अनुसूची 12 : महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं लेखों के भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियां :

क. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां :

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत तैयार किए जाते हैं और सारा व्यय, जिसकी वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण स्थिति है, उपचय के आधार पर स्वीकार किया जाता है। वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू अनिवार्य लेखाकरण मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संबद्ध प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

1. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियां लागत पर दर्शाई जाती हैं। लागत में अधिग्रहण एवं प्रतिष्ठापन संबंधी प्रासंगिक व्यय शामिल है।

2. मूल्यह्रास

अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की व्यवस्था स्ट्रेट लाइन पध्दति से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विहित दरों पर और विनिर्दिष्ट तरीके से की जाती है।

3. राजस्व मान्यता

संबंधित करार के निबंधनों के अनुसार सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो उसे राजस्व माना जाता है।

4. कर्मचारी हितलाभ

भविष्य निधि तथा फैमिली पेंशन निधि को प्रोद्भूत आधार पर मान्यता दी जाती है तथा लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में उपदान और छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान तुलन-पत्र की तारीख से बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

5. कराधान / आस्थगित कर (एएस-22)

वर्ष के लिए करयोग्य आय के बारे में निर्धारित वर्तमान कर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है। लेखाकरण मानक (एएस-22) के अनुसार आस्थगित कर देयता का परिकलन किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा आस्थगित कर देयता का परिकलन लागू कर दरों तथा कर कानून के अनुसार किया जाता है, जिसे तुलन-पत्र की तारीख से अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

6. पट्टे के अधीन ली गई परिसंपत्तियां

i. जहां पट्टाकर्ता प्रभावी रूप से सभी जोखिमों और पट्टे पर ली गई मदों के अनुसार स्वामित्व के हितलाभों को अपने पास रखता है तो ऐसे पट्टे को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टा भुगतानों को पूरी पट्टा अवधि में स्ट्रेट-लाइन आधार पर, जब तक कि वहां पर कोई क्रमबध्द आधार न हो, जो पट्टे के टाइम पैटर्न के अधिक समरूप हो, लाभ और हानि लेखे में व्यय के रूप में माना जाता है।

ii. प्रचालन पट्टे के अंतर्गत दी गई परिसंपत्तियों को अचल परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है। पट्टे से प्राप्त आय को पूरी पट्टा अवधि में स्ट्रेट-लाइन आधार पर, जब तक कि वहां पर कोई क्रमबध्द आधार न हो, जो पट्टे के टाइम पैटर्न के अधिक समरूप हो, लाभ और हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

7. परिसंपत्तियों की क्षति

परिसंपत्ति को क्षति के रूप में तब माना जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन लागत वसूलीयोग्य मूल्य से अधिक होती है। क्षति के कारण हुई हानि को, उस वर्ष में, जिसमें परिसंपत्ति की क्षति की पहचान की गई, लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन हो, तो पूर्व लेखाकरण अवधि में मान्यता दी गई क्षति की हानि को उलट दिया जाता है।

8. पूर्वावधि मदें एवं असाधारण मदें

आय एवं व्यय की पूर्वावधि तथा असाधारण मदों को पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है तथा वर्तमान अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है।

9. प्रारंभिक व्यय

प्रारंभिक व्ययों का दस वर्षों की अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिशोधन किया जाता है।

ख. लेखों पर टिप्पणी :

1. **प्रासंगिक देयताएं**

 31 मार्च, 2010 को प्रासंगिक देयताएं शून्य रुपए हैं (पिछले वर्ष शून्य रुपए)।

2. कंपनी, वर्ष के दौरान, होल्डिंग कंपनी अर्थात् नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) तथा सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात् एअर इंडिया-सैट्स बैंगलुरू तथा एअर इंडिया सैट्स-हैदराबाद के लिए यात्री हैंडलिंग, रैम्प हैंडलिंग, सुरक्षा हैंडलिंग तथा कार्गो हैंडलिंग सहित एअरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही है।

3. विविध लेनदारों के अंतर्गत 716.90 लाख रुपए की दर्शाई गई शेष राशि समाधान और तदुपरान्त समायोजन के अधीन है।

4. रुपए 70,75,092/- की बोनस राशि वर्तमान वर्ष के लिए इसके पात्र कर्मचारियों को सांविधिक बोनस के रूप में प्रदान की गई है (पिछले वर्ष में रुपए 86,49,711/-)।

5. **कर्मचारी हितलाभ (एएस-15)**

 कर्मचारियों को उपलब्ध हितलाभों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया गया है :

 i. परिभाषित अंशदान योजना :

  क) भविष्य निधि एवं फैमिली पेंशन निधि
  भविष्य निधि तथा फैमिली पेंशन निधि पर किए गए व्यय को कर्मचारी लागत की अनुसूची 10 में शामिल किया गया है।

 ii. परिभाषित हितलाभ योजनाएं :

  क) उपदान
  ख) छुट्टी का नकदीकरण

 उपर्युक्त परिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन, प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पध्दति का प्रयोग करके बीमांकिक से प्राप्त किया गया था।

 बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2010 को देयता :

	31.03.2010	31.03.2009	अंतर
उपदान	46,97,594	54,53,318	(7,55,724)
छुट्टी का नकदीकरण	9,69,300	19,35,948	(9,66,648)

 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार देयताओं के लिए किए गए प्रावधान 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार किए गए प्रावधानों की तुलना में अधिक हैं। कंपनी ने रूढ़िवादी आधार पर उपर्युक्त अंतर को उलटा नहीं किया है और उस सीमा तक वर्तमान वर्ष की हानि रु.17,22,372/- अधिक है।

6. विभिन्न पार्टियों से प्राप्त / को किए गए वास्तविक भुगतान तथा उसके तदुपरान्त समायोजनों सहित उसकी इनपुट सेवाओं पर सेवा कर देयता एवं सेनवेट क्रेडिट को निर्धारित करने के लिए कंपनी अपने सेवा कर अभिलेखों का समाधान कर रही है।

7. **सैगमेंट अनुसार सूचना (एएस-17)**

 कंपनी एअरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती है, अतः उसके पास रिपोर्ट करने योग्य केवल एक सेगमेंट है। अतः किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है। कंपनी की गतिविधियां भारत में हैं।

8. **संबध्द पार्टी लेन-देन (एएस-18)**

 क. संबध्द पार्टियां :-

  i. होल्डिंग कंपनी : मैसर्स नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल)

  ii. अन्य संबध्द पार्टियां :

   क) सहयोगी फर्म (संयुक्त उद्यम कंपनी) : मैसर्स एअर इंडिया सैट्स - हैदराबाद
   मैसर्स एअर इंडिया सैट्स - बैंगलुरू

ख) ग्रुप कंपनी : मैसर्स एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड
मैसर्स भारतीय होटल निगम लिमिटेड (शैफेयर)

iii. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक : श्री अरविन्द जाधव, अध्यक्ष

iv. वर्ष के अंत में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधियों के पास कोई भी लेन-देन बाकी नहीं है।

ख. संबध्द पार्टी लेन-देन :-

कंपनी नैसिल के स्वामित्व में है और नैसिल केन्द्रीय सरकार की कंपनी है। एएस 18 के पैरा 9 के उद्देश्य के लिए कंपनी को संबध्द पार्टी संबंध तथा लेन-देन के बारे में उसके वित्तीय विवरण में कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

9. **प्रति शेयर अर्जन**

क्र. सं.	विवरण	2009-10	2008-09
i.	वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) (रुपए)	(15,98,392)	(98,44,879)
ii.	इक्विटी शेयरों की संख्या	50,000	50,000
iii.	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपए)	10	10
iv.	प्रति शेयर अर्जन मूल तथा तनूकृत (रुपए) प्रति शेयर (हानि)	(31.97)	(197)

10. **आस्थगित कर देयता**

प्रारंभिक आस्थगित कर देयताएं (तुलन-पत्र)	रु. 9,180/-
अंतिम आस्थगित कर देयताएं (तुलन-पत्र)	रु. 6,520/-
लाभ और हानि खाते में जमा	रु. 2,660/-

11. निदेशक-मंडल की राय में, चालू परिसंपत्तियां एवं ऋण तथा अग्रिम को यदि सामान्य व्यवसाय के दौरान प्राप्त माना जाता है, तो उनका मूल्य तुलन-पत्र में उल्लिखित मूल्य से कम नहीं होगा तथा सभी ज्ञात देयताओं के लिए लेखा-बहियों में प्रावधान किया गया है।

12. कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक रहा है/घटा है।

लाख रुपए में

अचल परिसंपत्तियां (डबल्यूडीवी)		00.04
चालू परिसंपत्तियां		1058.81
कुल		1058.85
घटाएं : चालू देयताएं		1332.76
		(273.91)
जोड़ें : प्रारंभिक व्यय	26.73	
लाभ और हानि लेखा (हानि)	252.25	(279.00)
		(552.91)
पूंजी, आरक्षित निधियां एवं अधिशेष (स्वीय निधि)		5.00
नकारात्मक निवल मूल्य		**(547.01)**

13. मैसर्स नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल, होल्डिंग कंपनी) को नैसिल के कर्मचारियों से संबंधित, जो कंपनी में वर्ष के दौरान प्रतिनियुक्ति पर थे, 227.83 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 150.08 लाख रुपए) के स्थापना सहायक प्रभार की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

14. 31 मार्च, 2010 तक ऐसे कोई भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नहीं हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा 45 दिनों से अधिक अवधि तक बकाया राशि देय हो। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत यथापेक्षित उपर्युक्त सूचना ऐसी पार्टियों को देना निर्धारित किया गया है, जिनकी पहचान कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई है और लेखापरीक्षकों द्वारा इस पर विश्वास किया गया है।

15. जहां कहीं लागू हो, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II और भाग III के अनुसरण में अतिरिक्त जानकारी का अनुपालन किया जा रहा है। अन्य मामलों में सूचना या तो शून्य है या कंपनी पर लागू नहीं है।

16. वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा में कोई अर्जन या व्यय नहीं किया गया था।

17. वर्तमान वर्ष के साथ तुलना करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित तथा पुनःव्यवस्थित किया गया है और / या फिर से लाया गया है।

कृते पी. एम. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
पी. एम. अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 013899

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 सितम्बर, 2010

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
ई. के. भारत भूषण
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

अनुसूची 13 : तुलन-पत्र का सार तथा कंपनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा :

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना

I. पंजीकरण से संबंधित विवरण :

पंजीकरण संख्या		55-120790	राज्य कोड	:	55
तुलन-पत्र की तारीख	:	31 मार्च, 2010			

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि हज़ार रुपए में)

पब्लिक इश्यू	:	शून्य	राइट इश्यू	:	शून्य
बोनस इश्यू	:	शून्य	प्राइवेट प्लेसमेंट	:	शून्य

III. निधियों के संग्रहण तथा नियोजन की स्थिति (राशि हज़ार रुपए में)

कुल देयताएं	:	507	कुल परिसंपत्तियां	:	507

<u>निधियों के स्रोत</u> :

प्रदत्त पूंजी	:	500	आरक्षित निधियां तथा अधिशेष	:	शून्य
रक्षित ऋण	:	शून्य	अरक्षित ऋण	:	शून्य
			आस्थगित कर देयता	:	7

<u>निधियों का उपयोग</u> :

निवल अचल परिसंपत्तियां	:	4	निवेश	:	शून्य
निवल चालू परिसंपत्तियां	:	(27,395)	विविध व्यय	:	2,673
संचित हानियां	:	25,225			

IV. कंपनी का निष्पादन (राशि हज़ार रुपए में)

कुल आय	:	621,304	कुल व्यय	:	622,233
असाधारण मदें					
कर पूर्व लाभ	:	(1,636)	कर पश्चात लाभ	:	(1,598)
प्रति शेयर अर्जन (मूल)	:	(रु. 31.97)			

V. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं के व्यापक नाम

उत्पाद विवरण : एअरलाइनों की ग्राउंड हैंडलिंग सेवा

कृते पी. एम. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
पी. एम. अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 013899

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 सितम्बर, 2010

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
ई. के. भारत भूषण
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28 सितम्बर, 2010